न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या– 52/2019 निर्णय दिनांक – 09.05.2019

श्रीमती चन्द्रकान्ता पत्नी कैलाशचन्द्र मुन्दडा, आयु 68 साल, निवासी शास्त्री कॉलोनी, निम्बाहेड़ा।

– प्रार्थीगण

//बनाम//

1. भागीरथ पिता चूनीलाल चारण, आयु 50 साल, निवासी अरनिया जोशी।
2. भगतराम पिता केशुराम भील, आयु वयस्क, निवासी अरनिया जोशी।
3. मुन्ना पिता चुना भील, आयु वयस्क, निवासी अरनिया जोशी।
4. भुवानीराम पिता चूनी भील, आयु वयस्क, निवासी अरनिया जोशी।
5. भूरा पिता भगवाना भील, आयु वयस्क, निवासी अरनिया जोशी।
6. मांगू पिता भगवाना भील, आयु वयस्क, निवासी अरनिया जोशी।
7. नाना पिता भगवाना भील, आयु वयस्क, निवासी अरनिया जोशी।
8. बालू पिता भगवाना भील, आयु वयस्क, निवासी अरनिया जोशी।
9. जगदीश पिता दोला धाकड़, आयु वयस्क, निवासी अरनिया जोशी।
10. राधेश्याम पिता दोला धाकड़, आयु वयस्क, निवासी अरनिया जोशी।
11. भागीरथ पिता दोला धाकड़, आयु वयस्क, निवासी अरनिया जोशी।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट
आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा अरनिया जोशी की आराजी नं. 785 व 792 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6600 हेक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 300/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा अरनिया जोशी की आराजी नं. 785 व 792 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6600 हेक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 09.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2019.12.06 18:18:46 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official